न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 63/2011 (223 आरटीए) अता मोहम्मद बनाम रिडमल खां के का.मु. वगै.
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00010)

अता मोहम्मद पुत्र मकबूल खां जाति मुसलमान निवासी मयाकोरिया तहसील फलोदी।

.... अपीलांट

बनाम

1 रिडमल खां के कायम मुकाम
  1/1 अब्दुल सत्तार पि. रिडमल खां
  1/2 अब्दुल गफुर पि. रिडमल खां जाति मुसलमान निवासी लोकायत।
  1/3 सफुरा पत्नी समसदीन पुत्र मुसे खां मुसलमान नि. ननेउ,
2 तहसीलदार फलोदी।
3 हाफीजा पुत्री मकबूल खां,
4 फतेह खातून पुत्री मकबूल खां
  जाति मुसलमान निवासी मयाकोरिया तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 24.10.2011 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 119/2004

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. राठी।
2 रेस्पो. सं. 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 119/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2011 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 88, 188, 91, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से

21/8

राजस्व वाद सं. 119/2004 पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक काश्त भूमि मौजा मयाकोरिया में खेत खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। जिस पर वर्षों से अपीलांट अपने हिस्से पर काश्त करता आ रहा है। खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि मौजा मयाकोरिया वक्त सैटलमेंट से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मकबूल खां अकेले के नाम दर्ज हुई थी क्योंकि परिवार का मुखिया उस समय मकबूल खां ही था। उक्त काश्त भूमि विरासत से प्राप्त होती रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मकबूल खां का आज से करीबन 40 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। उसकी तमाम चल एवं अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके दोनों पुत्र हुए। उक्त काश्त भूमि के अलावा ग्राम बेंगटी कला में खसरा नं. 288 रकबा 80 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 286 रकबा 14 बिस्वा खसरा नं. 287 रकबा 14 बिस्वा कुल 81 बीघा 9 बिस्वा की काश्त भूमि मकबूल के नाम थी। खसरा नं. 67 वाके मयाकोरिया व खसरा नं. 288, 286, 287 वाके बेंगटी कला के दोनों जगह भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से पिता के स्वर्गवास के बाद कब्जा काश्त संयुक्त रूप से चला आ रहा है। दोनो ग्रामों की काश्त भूमि में प्रत्येक का 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 रिडमल खां के मन में मकबूल खां के फोत होने के बाद बदियांति आ गई और अपीलांट अपने भाई पर विश्वास करता रहा इस कारण से उसने राजस्व रिकार्ड की जांच की आवश्यकता नहीं समझी तथा नाजायज फायदा उठाने की नियत से रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पटवारी से साजिस व मिलावट करते हुए पोसिंदा तौर पर नामांतरकरण संख्या 15 भरवाते हुए खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि को स्व. मकबूल खां के नाम दर्ज थी जिसका फोतेदगी म्यूटेशन अकेले प्रतिवादी संख्या 1 रिडमल खां ने अपने आपको मकबूल खां का अकेले को वारिस बताते हुए म्यूटेशन संख्या 15 अपने नाम से रिकार्ड पर चढ़वा दिया जबकि अन्य काश्त भूमि वाके बेंगटी कला के खसरा नं. 288, 286, 287 जो मकबूल के नाम दर्ज थी जिसका नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा सही जांच करते हुए दोनों के नाम दर्ज किया गया। उसमें अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों का नाम भरा गया इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 15 राजस्व रिकार्ड में तमाम इन्द्राजात फर्जी एवं साजिस षड़यंत्र के दौरान अपीलांट के 1/2 हिस्से की 24 बीघा भूमि हड़पने की नियत से बिना सुनवाई अपीलांट के उक्त म्यूटेशन दर्ज किया है जो अपीलांट के हितों के विरुद्ध शून्य है। अपीलांट ने खसरा नं. 67 वाके मयाकोरिया की काश्त भूमि में अपने हिस्से यानि 1/2 हिस्सा रकबा 24 बीघा भूमि का खातेदार कृषक है। जो उसे अपने पिता के उत्तराधिकार में

21/8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राप्त हुई है। जिस पर उसका अपने पिता के समय से व बाद में भी आज दिन तक वर्तमान में भी कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके लिए जानकारी होने से अपीलांट खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा काश्त भूमि वाके मयाकोरिया के अपने 1/2 हिस्से का अपीलांट घोषित करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का दावा प्रस्तुत किया जिसके साथ में नकल नामांतरकरण संख्या 15 व जमाबंदी वाके मयाकोरिया व जमाबंदी संवत 2051 से 2054 ग्राम बेगटी कला संलग्न की हैं। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 जो मकबूल खां की पुत्रियां थी जो मकबूल खां के निधन होने से पूर्व अपने ससुराल चली गईं तथा उन्होंने कभी भी विवादित भूमि के पर न तो काश्त की और नही किसी प्रकार से उनका पैतृक संपत्ति पर कोई हक हिस्सा था जिसके संबंध में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व रिडमल खां के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिए जाने तथा वाद का निर्णय करने का निवेदन किया। उक्त मुकदमा दिनांक 09.11.2001 को अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करते हुए डिक्री पारित करते की गई जिस पर अपीलांट ने माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील मुकदमा संख्या 21/2002 प्रस्तुत की जो अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 27.05.2004 को पारित किया था जिसकी सुनवाई नंबर पर लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.10.2011 को अपना निर्णय डिक्री पारित करते हुए अपीलांट का वादी का वाद निरस्त करते हुए तथा यह कहते हुए कि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 का रिकार्ड पर जबाब दावा आ जाने व अपने भाई के पक्ष में हक तर्क किए जाने तथा पूर्व में फैमिली सेटलमेंट हो जाने से दावा अपीलांट खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2011 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. राठी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री रिकार्ड, संचियका व बिना तथ्यों वाक्यात के आधार से पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 दोनों सगे भाई हैं तथा मकबूल खां के जाइंदा पुत्र होने से पिता के स्वर्गवास के पश्चात दोनों का अपने पिता की संपत्ति पर बराबर-बराबर हक हिस्सा व भूमि पर कब्जा काश्त होने से दोनों भाइयों के हिस्से में

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने पिता की भूमि व चल अचल संपत्ति 1/2–1/2 हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी थी लेकिन ग्राम बेंगटी कला के खसरा नं. 288, 286 व 287 रकबा 81 बीधा 9 बिस्वा भूमि में अपीलांट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में पिता के स्वर्गवास के पश्चात दर्ज किया गया लेकिन ग्राम मौजा मयाकोरिया के खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि में स्वर्गीय मकबूल खां के नाम दर्ज कृषि भूमि को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा षड़यंत्र पूर्वक रेस्पोडेंट संख्या 1 से मिलावट करते हुए अन्य परिवार के सदस्यों को छोड़ते हुए व अपने भाई को बिना बताए पूरे खसरे का नामांतरकरण सं. 15 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जो सरासर गलत है। जिस पर वर्तमान में अपीलांट का कब्जा है तथा इससे पूर्व भी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने–अपने हिस्से में काश्त कब्जा वर्षों से चला आ रहा है जिस पर अवलोकन किये बिना किसी दस्तावेज सबूत के व बिना किसी हक तर्कनामा के रेस्पो. सं. 3 व 4 की ओर से निष्पादित किया हुआ फर्जी तरीके से हिस्सा बताकर म्यूटेशन सं. 15 अपने नाम दर्ज करवा दिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अपनी टिप्पणी किए बिना देखे निर्णय व डिक्री पारित किए जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है। मौजा बेंगटी कला में दोनों भाइयों के नाम पटवारी हल्का ने यानी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामांतरकरण दर्ज करते हुए दर्ज किया गया तथा मौजा मयाकोरिया के कृषि भूमि बाबत तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आधार व बिना सुनवाई के व बिना रिकार्ड पर दस्तावेज लिए केवल मात्र रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम म्यूटेशन दर्ज कर दिया जो सरासर गलत हाने पर भी उसकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। इस दरम्यान प्रतिवादी सं. 1 के निधन होने पर उनके स्थान पर रेस्पो. सं. 1/1 से 1/3 को रिकार्ड पर लिए बिना अपीलांट वादी का दावा निरस्त कर दिया जिस पर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर रेस्पो. सं. 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/3 को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश पारित किए गए व दावे में पुनः सुनवाई की गई। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने भी अपना जबाब दावा पक्षकार नहीं होते हुए भी उन्हें पक्षकार बनाया जाकर रिकार्ड पर लिया गया तथा उनकी ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 से 5 व अतिरिक्त तनकी 1 व 2 कायम किए जाने तथा रिकार्ड पत्रावली पर आए तथ्यों व वाक्यातों को नजर अंदाज करते हुए अपना निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट का दावा निरस्त कर दिया। जो सरासर गलत होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त काबिल है। अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 के कायम मुकाम अब्दुल सत्तार व अब्दुल

21/8

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

गफूर ने अपना जबाबदावा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 हाफिज व फतेह खातुन ने अपना अलग–अलग जबाब दावा प्रस्तुत किया तथा साथ ही जबाब दावा में काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट की ओर से न तो किसी प्रकार के कोई दस्तावेज पेश हुए व न ही रेस्पोडेंट स्वयं ही पेश होकर अपना साक्ष्य सबूत को रिकार्ड करवाया गया जबकि तनकी संख्या 4, 5 व अतिरिक्त तनकी संख्या 1 व 2 का भार रेस्पोडेंट के जिम्मे था लेकिन उनकी तरफ से बिना साक्ष्य आए तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुए केवल मात्र जबाब दावे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तथा तनकी अनुसार निर्णय व डिक्री पारित करने के दौरान कानून को ताक में रखते हुए निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय डिक्री पारित किया है उसमें तनकी संख्या 1 को निर्णित करने में बड़ी भारी भूल की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के गवाह 1 से 5 तथा राजस्व रिकार्ड क प्रदर्श–1 से 3 दस्तावेज को साबित कर खसरा नं. 67 व खसरा नं. 288, 286 व 287 अपने पिता के नाम से होने से अपने आप को उत्तराधिकारी बता कर अपना 1/2 हिस्से का उत्तराधिकारी की हैसियत से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को साबित किया है। तथा अपीलांट ने अपने सगे भाई के द्वारा गलत प्रकार से पिता की भूमि को अकेले हड़पने की नियत से अपीलांट के हिस्से को हड़प करते हुए राजस्व रिकार्ड में म्यूटेशन संख्या 15 दर्ज करवाया जिसको अपीलांट ने पूरी तौर पर इंकार करते हुए अपने साक्ष्य सबूतों से साबित किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बेंगटीकला के खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि को अपीलांट के पक्ष में बताते हुए रेस्पोडेंट के जबाबदावे को मानते हुए अपीलांट का 1/2 हिस्से प्राप्त होने वाली खातेदारी के विंरुद्ध तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण के पक्ष में किया है जो कानून के विरुद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त काबिल हैं। तनकी संख्या 2 का तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार निर्णय पारित कर दिया है। तनकी नंबर 2 व 3 का जिस प्रकार से कानूनन अलग–अलग विवेचन कर निर्णय पारित करना था जो नहीं कर एक साथ निर्णय करने में बड़ी भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय को तनकी नं. 4 व तनकी नं. 5 का निर्णय अलग–अलग किया जाना था तथा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 का अपने ससुराल चले जाने से अपने पिता के हिस्से में किसी प्रकार का सरोकार नहीं होते हुए भी केवल मात्र उनसे मिथ्या आधार से गलत व लोभ लालच व षड़यंत्र से पक्षकार नहीं होते हए जबाबदावा प्रस्तुत करवाया

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व बाद में पक्षकार बनाया जाकर पेश करवाया गया तथा उनका न तो फैमिली अरेजमेंट के समय कोई उनके हस्ताक्षर अंगुष्ठ भी रिकार्ड पर बिना दस्तावेज के किए हुए केवल जबाब दावा को आधार मानकर उन्हें पक्षकार रिकार्ड पर ले लिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 न तो दावे में पक्षकार थी और न ही दावे को उनके द्वारा कन्टेस्ट ही किया गया और न ही अपने आप को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा केवल मात्र अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 को पक्षकार नहीं बनाया गया इस आधार पर अपना निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाक्यात व साक्ष्य रिकार्ड पर आई है उकसे अनुसार अपीलांट का 1/2 हिस्सा ग्राम मौजा मयाकोरिया के खसरा नं. 67 में 1/2 हिस्सा बनना पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट ने किसी प्रकार से अपने हिस्से को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए फिर भी उनके हिस्से को बना किसी आधार से मानकर अपीलांट के दावे निर्णय डिक्री पारित करने में बड़ी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष मे रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 ने कब हकतर्क किया तथा कब फैमिली अरेंजमेंट पक्षकारों के बीच हुआ जो उन्हे दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जाना था जो बिना रिकार्ड पर आए केवल जबाब दावे को आधार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा मयाकोरिया में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के कायम मुकाम यानि अपीलांट के 1/2 हिस्से को उत्तराधिकारी के रूप में मानकर उसके कब्जे काश्त को घोषित किया जावे तथा अपीलांट के 1/2 हिस्सा यानी 24 बीघा भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने बहस में कथन किया कि मुतवफी मकबूल खां के फौत होने पर वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी फेमिली अरेंजमेंट के जरिए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ग्राम बेंगटी कला की भूमि मकबूल खां की खातेदारी भूमि खसरा नं. 288 रकबा 80 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 286 रकबा 14 बिस्वा व खसरा नं. 287 रकबा 14 बिस्वा कुल 81 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से में रखी उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी की सहमति अनुसार उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 15 ग्राम मयाकोरिया प्रतिवादी के हक में स्वीकृत किया गया। उक्त विवादित भूमि के बदले वादी प्रतिवादी ने संयुक्त परिवार से खरीद की गई ग्राम

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेंगटी कला की खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी को दी गई। इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। अभी जमीनों की कीमतें बढ़ जाने से लालच में आकर वादी ने यह दावा गलत व बेबुनियाद निराधार रूप से पेश किया है जो काबिल खारिज है। प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 हफीजो व फतेह खातून ने अपना जवाब दावा पेश कर वाद वादी अस्वीकार किया है मजीद उजरात पेश कर बताया है कि जवाबदावा में अंकित वंशावली अनुसार उक्त भूमि के हकदार वादी एवं प्रतिववादी रिड़मल खां के वारिसान व प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने आपसी फेमिली ऐरेंजमेंट के जरिए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ग्राम बेंगटी कला की मकबूल की खातेदारी की ग्राम बेंगटी कला की भूमि खसरा नं. 288 रकबा 80 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 286 रकबा 14 बिस्वा खसरा नं. 287 रकबा 14 बिस्वा कुल 81 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का बराबर हिस्सा रखा ग्राम मयाकोरिया की उक्त भूमि खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा रिड़मल खां के रखी तथा विवादग्रस्त भूमि के बदले वादी को वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की खरीद की गई ग्राम बेंगटी कला की खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि दी गई। प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने अपना हिस्सा अपने भाई रिड़मल खां को अपने हक में छोड़ दिया। इसी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त आज दिन तक शांति पूर्वक चला आ रहा है और इसी अनुसार आपसी सहमति से उक्त विवादित भूमि का नामांतरकरण संख्या 15 ग्राम मयाकोरिया के जरिए रिड़मल खां के नाम दर्ज हुई है। और रिड़मल खां के फोत होने पर उनके फोतेदगी नामांतरकरण सं. 230 ग्राम मयाकोरिया के जरिए रिड़मल खां के पुत्रों सतारखां व गफूरखां के नाम दर्ज हुई है। इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन अभी जमीनों की कीमत बढ़ जाने की वजह से लालच में आकर वादी ने यह दावा अदालत हाजा में पेश किया जो काबिल खारिज है और साथ मे यह भी निवेदन किया कि अगर अदालत हाजा उक्त भूमि खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि रिड़मल खां के वारिसान की नहीं मानती है तो उस स्थिति में प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 उक्त भूमि रिड़मल खां के वारिसान और प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 की बहिस्सा बराबर 1/4-1/4 हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित करवा कर इसी अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। लेकिन वादीगण द्वारा 1/4 हिस्से की प्रेयर नहीं की है। वादीगण ने अपने बयानों की जिरह में मंजूर किया है कि खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा पर ढाणी में रिड़मल खां ही रहता था व वर्तमान में उसका व उसके वारिसान का ही पजेशन है। अतः तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं

21/8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैं। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का तनकीवाईज विवेचन किया जा रहा है जो इस प्रकार है :

तनकी सं. 1 आया कि खेत खसरा नं. 67 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा मयाकोरिया जो वादी व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक काश्त भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है जो उत्तराधिकार में प्राप्त है एवं उस पर लगातार काश्त कब्जा चला आ रहा है पर वादी के 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। ...... जिम्मे वादी।

इस तनकी के विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जबाबदावे के आधार पर यह माना है कि ग्राम बेंगटी कला के खसरा नं. खसरा नं. 288 रकबा 80 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 286 रकबा 14 बिस्वा खसरा नं. 287 रकबा 14 बिस्वा कुल 81 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वादी अता मोहम्मद का 1/2 हिस्सा यानी 40 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी रिड़मल खां का 1/2 हिस्सा यानी 40 बीघा 15 बिस्वा भूमि रखी गई। ग्राम मयाकोरिया के खेत खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी रिड़मल खां को रखी गई। तथा ग्राम बेंगटी कला के खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी अता मोहम्मद के रखी गई तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 हाफीजो व फतेह खातुन पुत्रियां मकबूल खां ने अपने जबाब दावा में अपना हक हिस्सा अपने भाई रिड़मल खां के हक में छोड़ना स्वीकार कर लिया है और इसी माफिक राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण रिड़मल खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादी ग्राम मयाकोरिया के खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा के भूमि के 1/2 हिस्से की अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं मानते हुए यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की है।

इस संबंध में प्रदर्श–3 खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा के म्यूटेशन सं. 15 का अवलोकन किया गया जिसमें कॉलम संख्या 5 में कृषक का नाम मकबूल पुत्र भलु कौम सिपाही सा.देह. खातेदार दर्ज है। कॉलम सं. 11 नवीन अंकन में रिड़मल पुत्र मकबूल कौम सिपाही सा.देह खातेदार दर्ज किया गया। जिसका कारण मकबूल फोत हो चुका है जिसका जायंदा लड़का रिड़मल खां काबिज है अंकित किया गया है। म्यूटेशन की पुश्त पर ग्राम पंचायत बावड़ी की बैठक में उक्त नामांतरकरण दिनांक 30.11.64 को

21/8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि यह फोतेदगी नामांतरकरण है लेकिन इसमें मकबूल के पुत्र को काबिज होने से केवल उसके नाम ही नामांतरकरण स्वीकृत किया है व पंचायत की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार रिड़मल को खातेदारी दी गई है। जबकि फोतेदगी म्यूटेशन में मकबूल के सभी वारिसान का नाम आना चाहिए, इस म्यूटेशन में कोई फेमिली ऐरेंजमेंट का भी कोई हवाला नहीं हैं।

खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा के नामांतरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसमें बेचान रु. 99 के आधार पर लिखत स्टाम्प 6 रु. नं. 1114 दिनांक 23.04.65 अंकित है। जो पंचायत की मीटिंग में सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है नामांतरकरण की दिनांक 25.02.1969 प्रतीत होती है। इससे खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि अता मोहम्मद की स्वयं की खरीदशुदा भूमि है जो पैतृक संपत्ति नहीं हैं। अतः खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्व अर्जित संपत्ति होने से फैमिली ऐरेंजमेंट में शामिल नहीं हो सकती। तथा फैमिली ऐरेंजमेंट भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस भूमि के अता मोहम्मद अकेले के नाम होने से खसरा नं. 67 की भूमि अकेले वादी के नाम नहीं की जा सकती। खसरा नं. 67 की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद अता मोहम्मद व रिड़मल खां के पिता मकबूल के नाम दर्ज थी तो फोतेदगी के नामांतरकरण में यह मकबूल के दोनों पुत्रों के नाम आनी चाहिए थी जैसा कि अन्य खसरा नंबरान की भूमि आई है। यदि फैमिली ऐरेंजमेंट के कारण ऐसा किया गया है तो फैमिली ऐरेंजमेंट संबंधी दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत होना चाहिए तभी इस संबंध में उसका परीक्षण किया जा सकता है।

इस प्रकरण में दाउराम पुत्र रूपाराम जाति भील पी.डब्लू. 4 एक न्यूट्रल गवाह प्रतीत होता है जिसके बयानों का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :–

" मैं वादी व प्रतिवादी को जानता हूं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की पैतृक काश्त भूमि वाके गांव मयाकोरिया में खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा आई हुई है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का भी 1/2 हिस्सा है। उक्त काश्त भूमि पर अपने–अपने हिस्सा माफिक ही सालों साल काश्त करते आ रहे हैं उक्त भूमि सेटलमेंट से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. मकबूल खां अकेले के नाम दर्ज हुई थी। और उनके स्वर्गवास होने के बाद इस भूमि पर अता मोहम्मद एवं रिड़मल खां का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। मेरी याद में मैंने मकबूल अकेले को कब्जा काश्त करते देखा है। और मकबूल खां की मृत्यु के बाद उसकी तमाम संपत्ति उत्तराधिकार में उसके दोनों पुत्रों

21/8

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई थी। इनके परिवार का मुखिया होने के नाते समाज का और काम सारा कार्य रिड़मल खां ही देखता था और अता मोहम्मद काश्त व घरेलू कार्य में व्यस्त रहता था। उक्त भूमि रिड़मल खां ने अपने नाम भाई के विश्वास में धोखा देकर अपने नाम अकेले गलत कराई है। उक्त भूमि में मैंने कभी भी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की बहनों को कभी भी कब्जा काश्त करते नहीं देखा है वे तो अपनी ससुराल में रहती हैं। इन दो भाइयों की आधी–आधी कब्जा काश्त है। मेरा उक्त भूमि के चिपत–चिपत दक्षिण में खेत आया हुआ है जिस पर मैं ढाणी में परिवार सहित निवास करता हूं। अता मोहम्मद की उक्त खेत में दो ढाणी बनी हुई है व एक टांका बना हुआ है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है उक्त भूमि में पश्चिम की तरफ अता मोहम्मद की है व पूरब की तरफ रिड़मल खां की है।"

खसरा नं. 67 के नामांतरकरण, खसरा नं. 283 के नामांतरकरण एवं पी. डब्लू. 4 दाउराम पुत्र रूपाराम भील जो एक स्वतंत्र गवाह प्रतीत होता है के बयानों से खसरा नं. 67 अता मोहम्मद एवं रिड़मल खां की संयुक्त भूमि एवं खसरा नं. 283 अकेले अता मोहम्मद की खरीद शुदा भूमि प्रतीत होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी का विवेचन विधि विरुद्ध किया है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 2 व तनकी नं. 3 का निर्णय तनकी संख्या 1 के आधार पर किया है। अतः इन तनकीयात का निर्णय भी त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। तनकी नं. 4 का विश्लेषण ही नहीं किया गया है। तनकी नं. 5 में अधीनस्थ न्यायालय ने आपसी फैमिली ऐरेंजमेंट के जरिए दोनों पक्षों की सहमति से ग्राम मयाकोरिया की खसरा नं. 67 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के बंट में रखना तथा बैंगटी कला की खसरा नं. 283 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी के बंट में रखना मानकर वादी को दावा लाने का अधिकारी नहीं माना है जबकि आपसी सहमति से फैमिली ऐरेंजमेंट का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं हैं। जैसा कि तनकी नं. 1 में विवेचन किया जा चुका है कि खसरा नं. 283 ग्राम बेंगटी कला की भूमि वादी अकेले की स्वयं की खरीद की हुई भूमि है तथा खसरा नं. 67 पैतृक भूमि है जो पहले मकबूल खां के नाम दर्ज थी जो फोतेदगी नामांतरकरण के बाद मकबूल के वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जबकि केवल रिड़मल के नाम पंचायत ने कब्जे के आधार पर खातेदारी दी है जो विधि विरुद्ध है।

उपरोक्त विवेचन से इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय विधि विरुद्ध किया है। तनकीयात के निर्णय में फेमिली ऐरेंजमेंट को आधार बनाया है तथा प्रतिवादीगण के जबाबदावा में अंकित तथ्यों को आधार बनाया है। प्रतिवादीगण ने न्यायालय के समक्ष

21/8

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

अपने साक्ष्य से काउंटर क्लेम को प्रमाणित नहीं किया है। इसके अलावा तनकी सं. 3 व 4 प्रतिवादी के जिम्मे थी तथा अतिरिक्त तनकी सं. प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के जिम्मे थी। लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं कराए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु दिनांक 12.07.2011, 27.07.2011, इसके पश्चात 100रु. कोस्ट पर 10.08.2011 को अवसर दिया गया। लेकिन उसके पश्चात भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं हुई तो दिनांक 06.09.2011 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। तथा पत्रावली बहस में नियत की गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर भी उनके द्वारा अपने जबाब दावे के तथ्यों की पुष्टि कराए बिना व दस्तावेजात का प्रदर्श कराए बिना एवं फेमिली ऐरेंजमेंट रिकार्ड पर नहीं होते हुए भी तनकीयात को प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध कर दिया है जो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य हैं एवं प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2011 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायहित में प्रतिवादीगण को 500 रु. कोस्ट पर साक्ष्य का एक अंतिम अवसर और प्रदान किया जाकर प्रकरण में प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जावे तदुपरांत विधि के प्रावधानों के तहत तनकीवाईज विवेचन व विश्लेषण करते हुए पुनः नवीन सिरे से निर्णय व डिक्री पारित किया जावे।

21/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
जोधपुर